प्रपत्र VII

बिहार सरकार,

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–19(1) के अधीन)

पत्रांक............................../भू–अर्जन, किशनगंज दिनांक...

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा **एस.एस.बी. 19वीं बटालियन, के बी.ओ.पी. परिसर गरभंडांगा (बिहारी टोला) हेतु** मौजा धनतोला, थाना नं. 312 में 4.00 (चार एकड़) एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 4.00 (चार एकड़) एकड़ है और जो मौजा धनतोला, थाना नं. 312, थाना–गरभंगडांगा, अंचल दिघलबैंक, जिला किशनगंज में है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र.	ग्राम /थाना नं	अंचल	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
									उ0	द0	पू0	प0
1	धनतोला /312	दिघलबैंक	130	2969	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	2.0000	श्री कमल किशोर भगत, पिता–जनक लाल भगत, सा.–गन्धर्वडांगा	Plot No 2968(P) & 2969(P)	Plot No 2971(P)	RCC Road	Plot No 2969(P) & 2971(P)
2	तदैव	तदैव	130	2971	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	1.5000	श्री कमल किशोर भगत, पिता–जनक लाल भगत, सा.–गन्धर्वडांगा	Plot No 2968(P) & 2969(P)	Plot No 2971(P)	RCC Road	Plot No 2969(P) & 2971(P)
3	तदैव	तदैव	183	2968	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.5000	सीता राम गिरी व कारी सोरी व स्व. कलावती व सोधा देवी पिता–स्व. केशव लाल गिरी, सा. –गन्धर्वडांगा	Plot No 2968(P) & 2969(P)	Plot No 2971(P)	RCC Road	Plot No 2969(P) & 2971(P)
						Total	**4.0000**					

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Aditya Prakash 31/7/2020

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार,

किशनगंज।,

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक 802 /जि. भू–अर्जन, किशनगंज, दिनांक 3.8.2020

प्रतिलिपिः: निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियाँ सी.डी. सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की दस–दस (10–10) प्रतियॉ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Aditya kumar 31/7/2020

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार,

किशनगंज।,

ज्ञापांक 804 /जि.भू–अर्जन, दिनांक 3.8.2020

प्रतिलिपिः: प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है अधिघोषणा की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट एवं ग्राम पंचायत के सूचनापट पर कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः: अंचल अधिकारी, दिघलबैंक को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है अधिघोषणा की प्रति का तामिला सभी संबंधित रैयतों/संबंधित पंचायत के सरपंच/मुखिया को कराते हुये तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, अधिघोषणा की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट पर भी कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः: जिला अवर निबंधक, किशनगंज/अवर निबंधक, बहादुरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: अनुमडंल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अधिघोषणा की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट पर कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः: आई.टी., मैनेजर, समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषणा की प्रति का प्रकाशन जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः: सेनानायक, एस.एस.बी. 19वीं बटालियन, ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,

किशनगंज।

03/8/2020

Scanned by CamScanner